ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग हेतु प्रमुख पांच स्टेप

(1)	ऑनलाइन पंजीयन (Online Registration)
(2)	दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)
(3)	ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन तथा आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान (Online Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee)
(4)	ऑनलाइन आवंटन (Online Allotment)
(5)	आवंटित संस्था में उपस्थिति तथा आवंटित संस्था में दस्तावेजों का सत्यापन (Reporting at Alloted Institute and Document Verification)

1. ऑनलाइन पंजीयन (Online Registration)

समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा। ऑनलाईन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये सभी अभ्यर्थी वेबसाइट www.dtempcounselling.org अथवा www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन करवाएंगे। ऑनलाइन पंजीयन हेतु समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये पंजीयन शुल्क ₹ 280/– (पोर्टल चार्जेस ₹ 30/–सहित) देय होगा जोकि अप्रतिदेय (Non Refundable) है। ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निम्नलिखित माध्यमों से सम्मिलित हो सकते हैं:–

सारणी क्रमांक 1

इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के विकल्प

- अपने घर में इंटरनेट की सुविधा होने पर घर से।
- निकटस्थ सहायता केन्द्रों (शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय/शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/राज्य शासन के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/अन्य शासकीय संस्थाएं आदि जिनकी सूची पते एवं दूरभाष क्रमांक सहित वेबसाइट **www.mponline.gov.in** पर रहेगी) में स्थित इंटरनेट के सुविधा केन्द्रों से।
- अभ्यर्थी के शहर/गॉव में स्थित इंटरनेट कैफे के माध्यम से ।
- एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ।

पंजीयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी–

- अभ्यर्थी वेबसाइट www.dtempcounselling.org अथवा www.mponline.gov.in में उपलब्ध संबंधित पाठ्यक्रम पर क्लिक करें तथा Registration करावें
- ऑनलाईन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थी को कुछ महत्वपूर्ण डाटा पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवश्यक होगा, यथाः–
  - जन्म तिथि
  - अर्हकारी परीक्षा (अर्थात 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा जो भी लागू हो) का रोल नंबर
  - अर्हकारी परीक्षा के पूर्णांक तथा प्राप्तांक (ग्रेड सिस्टम में उत्तीर्ण होने की दशा में संबिधत बोर्ड/विश्वविद्यालय के नियमानुसार ग्रेड से प्रतिशत में अकों को बदलना आवश्यक है। यदि अंकसूची में ग्रेड से प्रतिशत में अंकों को बदलने की पद्धति न दी हुई हो तो ग्रेड से प्रतिशत में अकों को बदलने के लिए बोर्ड/विश्वविद्यालय का प्रमाणित फार्मूला अभ्यर्थी अवश्य प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही करें तथा सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करें)
  - अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
  - अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष
  - मोबाईल नंबर
  - ई–मेल आईडी
  - अन्य कोई विवरण जो मांगा जाये
- पंजीयन शुल्क का भुगतान के लिये निम्नलिखित सारणी में दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता हैः–

सारणी क्रमांक 2 शुल्क भुगतान करने के विकल्प
➢ इंटरनेट बैंकिंग (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/एक्सिस बैंक)
➢ एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा/माएस्ट्रो कार्ड)
➢ सभी अधिकृत शासकीय सहायता केन्द्रों (काउंसलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) पर नगद भुगतान
➢ एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर

- पंजीयन शुल्क के भुगतान उपरांत ही अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की रसीद तथा अस्थाई पासवर्ड प्राप्त होगा।

<u>महत्वपूर्णः–</u>

- अभ्यर्थी को प्रथमतः प्राप्त पासवर्ड को अनिवार्य रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से बदल लें तथा बदले हुए पासवर्ड को किसी को न बताएं ।
- अगली बार अभ्यर्थी लॉगईनआईडी (जोकि उसका रोल नंबर तथा जन्म तिथि होगी) तथा अपने पासवर्ड का उपयोग कर लागईन कर सकेगें । अभ्यर्थी जब भी लॉगईन करे अनिवार्यतः अंत में सुरक्षा की दृष्टि से लॉगआउट भी करे ।
- सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिये **पासवर्ड** सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय–समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो ।
- अभ्यर्थी को यह सुविधा रहेगी की वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है ।
- पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में अभ्यर्थी के द्वारा पंजीयन के समय जो अतिरिक्त जानकारियां दी गई थी, तथा अपने पहचान पत्र के साथ किसी भी नजदीकी अधिकृत सहायता केन्द्र से ₹ 100/– जमा कर नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं ।

2. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)

पंजीयन उपरांत समस्त श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों का निकटस्थ सहायता केन्द्रों (काउंसलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) से सत्यापित करवाना होगा।

<u>अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मूल–दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा</u> :–

- अर्हकारी परीक्षा (10वीं अथवा 12वीं जो भी लागू हो) की मूल अंकसूची (ग्रेड सिस्टम में उत्तीर्ण होने की दशा में संबधित बोर्ड/विश्वविद्यालय के नियमाअनुसार ग्रेड से प्रतिशत में अकों को बदलने के लिए बोर्ड/विश्वविद्यालय का प्रमाणित फार्मूला उम्मीदवार को लाना आवश्यक है)
- मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) (OBC) अभ्यर्थियों के लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र
- नवीनतम आय प्रमाण–पत्र (परिवार का) सक्षम प्राधिकारी (कलेक्ट्रेट द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी किया गया हो (यदि लागू हो)
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF)/सैनिक का प्रमाण–पत्र (S) (यदि लागू हो)
- विकलांग अभ्यर्थियों के लिये अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी निम्नलिखित प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
  - जिला जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र ; तथा
  - अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे।
- जम्मू–कश्मीर विस्थापित (J & K Migerant) (यदि लागू हो)

टीपः– 1) यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिये स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से दस्तावेजों के सत्यापन कराने के लिये उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन व्दारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे। यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्थी व्दारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने का दायी होगा।

2) सहायता केन्द्रों पर मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगे ।

3) सहायता केन्द्र, अभ्यर्थियों को Eligble/Not Eligible की पावती जारी करेंगे ।

4) Not Eligible अभ्यर्थी सत्यापन की अंतिम तिथि के पूर्व पुनः उपस्थित होकर अपने सही/चाहे गये दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं अथवा आरक्षित श्रेणी में Not Eligible होने पर अभ्यर्थी अपनी स्वेच्छा से अनारक्षित अभ्यर्थी की श्रेणी से काउंसलिंग हेतु सम्मिलित हो सकेगा ।

3. ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन तथा आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान (Online Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee)

अभ्यर्थी पाठ्यक्रमवार संस्थाओं का प्राथमिकताक्रम से चयन कर सकेगें। इस कार्यवाही के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा–

- अभ्यर्थी कम से कम एक तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क के भुगतान कर लॉक करना होगा ।
- अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को <u>**लॉक करने के पूर्व**</u> अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते हैं । शुल्क का भुगतान करने के बाद इच्छित प्राथमिकताक्रम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा । इच्छित प्राथमिकताक्रम

को लॉक करने हेतु रु 100/–पोर्टल चार्जेस देय होगा । शुल्क का भुगतान **''सारणी क्रमांक 2 –शुल्क भुगतान करने के विकल्प''** मे दर्शाये अनुसार ही करना होगा । अपनी च्वाईस को लॉक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा तथा उनकी च्वाईस का क्रम प्राथमिकताक्रम के अनुसार मुद्रित होगा । **अभ्यर्थी इस पावती को संभालकर अपने पास रखें।**

4. ऑनलाइन आवंटन (Online Allotment)

अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकताक्रम के आधार पर कॉमन मेरिट के अनुसार निर्धारित समय–सारणी के अनुसार आवंटन किया जावेगा तथा आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का उल्लेख आवंटन–पत्र में रहेगा । जिसे वे अपने लॉगईनआईडी/पासवर्ड डालकर इसका प्रिंटआउट प्राप्त करेंगे । संस्था/पाठ्यक्रम आवंटन होने के पश्चात् निर्धारित समय–सीमा में, जोकि उनके प्रिंटआउट पर मुद्रित होगा, अभ्यर्थी को निम्नलिखित कार्यवाही सम्पादित करना आवश्यक होगाः–

1. यदि आवंटित संस्था/ब्रांच से संतुष्ट हैं तो उनके प्रिंटआउट पर दर्शाई अंतिम तिथि के पूर्व आवंटित संस्था में उपस्थित होकर ऑनलाइन प्रवेश प्राप्त करें तथा प्रवेशित संस्था से ऑनलाइन प्रवेश पर्ची (Admission Slip) अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरित अनिवार्यतः प्राप्त करें तथा स्वयं भी हस्ताक्षर कर उसकी एक प्रति संस्था में जमा करें।
2. यदि अभ्यर्थी उपरोक्त कार्य सम्पादित नहीं करता है तो उसका आवंटन निरस्त माना जावेगा ।

5. आवंटित संस्था में उपस्थिति तथा आवंटित संस्था में दस्तावेजों का सत्यापन (Reporting at Alloted Institute and Document Verification)

अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु आवंटित संस्था में अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र तथा आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होगा । प्रमाण–पत्रों की सूची निम्नानुसार हैः–

- वेबसाइट से प्राप्त आवंटन पत्र का प्रिंटआउट
- अर्हकारी परीक्षा मूल अंकसूची (ग्रेड सिस्टम में उत्तीर्ण होने की दशा में अंकसूची में ग्रेड से प्रतिशत में अंकों को बदलने की पद्धति न दी हुई हो तो ग्रेड से प्रतिशत में अकों को बदलने के लिए बोर्ड/विश्वविद्यालय का प्रमाणित फार्मूला अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा)
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)

आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर प्रवेश प्राप्त करना होगाः–

- संस्था के अधिकृत अधिकारी, अभ्यर्थी के दस्तावेजों का सत्यापन करने के उपरांत ऑनलाईन उसकी एण्ट्री करेंगे तथा।
- अधिकृत अधिकारी, अभ्यर्थी के दस्तावेजों का सत्यापन करने के उपरांत अभ्यर्थी का पासवर्ड, अभ्यर्थी (अभ्यर्थी किसी भी स्थती में पासर्वड किसी को न बतायें) के द्वारा एण्ट्री करवा कर रिपोर्टिंग करवायें।
- रिपोर्टिंग के तुरंत बाद प्रवेश पर्ची का प्रिंटआउट प्राप्त कर संस्था के अधिकृत अधिकारी तथा अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त कर एक प्रवेश पर्ची अभ्यर्थी को देंगे तथा एक प्रिंटआउट संस्था में रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखेंगे ।
- अभ्यर्थी अयोग्य घोषित होने पर Not Eligbile की पर्ची प्रिंट होगी जिसे संस्था के अधिकृत अधिकारी हस्ताक्षरित कर अभ्यर्थी को एक प्रति दी जावेगी ।
- Not Eligbile अभ्यर्थी पुनः उस चरण की रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व अपने वैध दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में पुनः उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं ।
- उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों तथा Not Eligbile अभ्यर्थियों की सीटें रिक्त मानी जावेंगी तथा रिक्त स्थान अगले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित किया जावेगा
- प्रवेश उपरांत संस्था के अधिकृत अधिकारी एवं प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेश संबंधी स्टेट्स को अपने लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड से अवश्य सुनिश्चित कर लें ।
- किसी भी परिस्थिति में मूल प्रमाण–पत्र संस्था में जमा न करें ।

- अभ्यर्थियों को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी तरह का शुल्क आवंटित संस्था को देय नहीं है ।

महत्वपूर्णः–

✓ अभ्यर्थी अपना प्रवेश कुलाधिपति द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक प्रवेशित संस्था से ऑनलाइन निरस्त करवा सकते हैं । ऐसी दशा में संस्था में जमा शिक्षण शुल्क में से ₹ 1000/– की कटौती कर शेष शुल्क संस्था द्वारा वापिस की जावेगी। उक्त तिथि के बाद प्रवेश निरस्त नहीं होगा ।

संस्था स्तर की काउंसलिंग

प्रथम चरण की काउंसलिंग पश्चात् सीटें रिक्त रहने पर संस्था स्तर पर काउंसलिंग आयोजित की जावेगी। **संस्था स्तर की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थी को प्रथम दो स्टेप अर्थात् ऑनलाइन पंजीयन तथा अधिकृत सहायता केन्द्र पर अपने दस्तावेजों को सत्यापन कराने** के उपरांत इच्छित संस्था में संस्था द्वारा घोषित समय–सारणी अनुसार उपस्थित होकर प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल होना होगा।

नोटः– किसी भी चरण की काउंसलिंग में आवंटन उपरांत प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी यदि किसी कारणवश अगली काउंसलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं तब ऐसी परिस्थिति में उन्हें निर्धारित तिथि तक अपना पूर्व प्रवेश ऑनलाइन निरस्त करवाना होगा। निरस्तीकरण की कार्यवाही अभ्यर्थी को अपनी प्रवेशित संस्था से ही करवाना होगा। संस्था द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ निकटतम सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर अपना प्रवेश ऑनलाइन निरस्त करवा सकते है। उक्त निरस्तीकरण की सुविधा कुलाधिपति द्वारा प्रवेश हेतु घोषित अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक उपलब्ध रहेगी।

काउंसलिंग/प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण वेबसाइटः–

www.dtempcounselling.org

www.mponline.gov.in